

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निधि उड़सरिया आरएएस

प्रकरण सं० : 14/2025

अनवान :

1. रोशनअली पुत्र हाकमअली जाति नाई निवासी तारानगर तहसील तारानगर जिला चुरु। :-वादी

बनाम

1. रहीशा पुत्री (मरीयम) यासीनखान जाति कायमखानी निवासी कायमखानीबास भादरा तहसील भादरा।
2. मदीना पुत्री (मरीयम) यासीनखान जाति कायमखानी निवासी कायमखानीबास भादरा तहसील भादरा।
3. शकिला पुत्री (मरीयम) यासीनखान जाति कायमखानी निवासी कायमखानीबास भादरा तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

:- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : खाता विभाजन

अन्तर्गत धारा 53 राज०काश्त०अधि 1955

उपस्थिति : वकील श्री मुन्शीराम गोस्वामी :- वादी

निर्णय

दिनांक 30.10.25

संक्षेप में दावा के तथ्य इस प्रकार हैं कि रोही मौजा 10 बरानी के खाता सं० 7/7 के मु०न० 27 के कि० न० 22/1, 23 मु०न० 34 के कि०न० 2/1, 3, 8, 9/1, 12/1, 13, 18, 19, 20/1, 21/3, 21/4, 22/1, 22/2, मु० न० 52 के कि०न० 1/3, 2/1 कुल किता 17 की 2.600 है० बरानी वादभूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादभूमि की किस्म, कास्त, बंटाई एवं रास्ता आदि को लेकर पक्षकारान में विवाद बना रहता है। इसलिए वादी ने वादभूमि का कब्जा काश्त के अनुसार जोत विभाजन करवाकर वादी अपने हिस्से की भूमि अलग से टक कायम करवाकर अपने नाम अलग से खाता कायम करवाने का एवं वादी के विभाजित हिस्सा तक आवगमन के लिए रास्ते का अंकन करवाने का कानूनी अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं० 1 ता 3 तामिल होने के उपरान्त भी हाजिर नहीं आए जिनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा जवाबदावा पेश किया गया। वकील वादी ने विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाये जाने का निवेदन किया।

बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि पक्षकारान मुताबिक कब्जा काश्त भूमि पर काश्त करते आ रहे हैं। उसी अनुसार कब्जा काश्त के हिसाब से खाता लगान अलग अलग कायम किये जाने हेतु निवेदन किया।

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा 10 बरानी के खाता सं० 7/7 के मु०न० 27 के कि० न० 22/1, 23 मु०न० 34 के कि०न० 2/1, 3, 8, 9/1, 12/1, 13, 18, 19, 20/1, 21/3, 21/4, 22/1, 22/2, मु० न० 52 के कि०न० 1/3, 2/1 कुल किता 17 की 2.600 है० बरानी वादभूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में वादी ने अपने कब्जा काश्त अनुसार खातेदारी भूमि का खाता विभाजन वाहा है जिसका विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर तहसीलदार भादरा द्वारा मुताबिक अपनी रिपोर्ट व मय रगंदार नक्शा तहसीलदार भादरा के पत्रांक भू.अ./25/772 दिनांक 19.09.2025

को विभाजन प्रस्ताव पेश हुआ। विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी को सुना गया। वकील वादी
विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर की। प्रतिवादीगण द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर किसी
कार की कोई आपत्ति पेश नहीं की गई। अतः तहसीलदार भादरा के द्वारा रोही मौजा 10
रानी का प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के आधार पर पक्षकारान का खाता व लगान निम्न प्रकार
विभाजित किया जाता है:-

वेभाजन : रोही मौजा 10 बारानी

दीना, रहीशा, शकीला पि0 मरियम जाति कायमखानी साकिन भादरा खातेदार:- रोही मौजा
0 बारानी मु0न0 27 कि0न0 22/1 की 0.1200 है0, कि0न0 23/1 की 0.0415 है0 कुल
क्षेत्रफल 0.1615 है0 बारानी ।

रोशनअली पुत्र हाकमअली कौम नाई सा0 भादरा खातेदार :- रोही मौजा 10 बारानी के मु0न0
27 के कि0न0 23/2 की 0.2115 है0 मु0न0 34 के कि0न0 2/1 की 0.126 है0, कि0न0 3
की 0.253 है0, कि0न0 8 की 0.253 है0, कि0न0 9/1 की 0.127 है0, कि0न0 12/1 की 0.
127 है0, कि0न0 13 की 0.253 है0, कि0न0 18 की 0.253 है0, कि0न0 19 की 0.253 है0,
कि0न0 20/1 की 0.126 है0, कि0न0 21/3 की 0.114 है0, कि0न0 21/4 की 0.013 है0
गैर मु0 रास्ता, कि0न0 22/1 की 0.228 है0, 22/2 की 0.025 है0 गैर मु0 रास्ता, मु0न0 52
के कि0न0 1/3 की 0.025 है0 बारानी, कि0न0 2/1 की 0.051 है0 बारानी कुल रकबा 2.
4385 है0 बारानी मय रास्ता।

यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार
राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की
जावे।

निर्णय आज दिनांक 30/10/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया
गया।



(निधि उड़सरिया)
(निधि उड़सरिया)RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा जिला हनुमानगढ़पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निधि उड़सरिया आरएएस

प्रकरण सं० : 14/2025

अनवान :

1. रोशनअली पुत्र हाकमअली जाति नाई निवासी तारानगर त० तारानगर जिला चुरू।
:-वादी

बनाम

1. रहीशा पुत्री (मरीयम) यासीनखान जाति कायमखानी निवासी कायमखानीबास भादरा तहसील भादरा।
2. मदीना पुत्री (मरीयम) यासीनखान जाति कायमखानी निवासी कायमखानीबास भादरा तहसील भादरा।
3. शकिला पुत्री (मरीयम) यासीनखान जाति कायमखानी निवासी कायमखानीबास भादरा तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

:- प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक: 30.10.2024

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मुंशीराम गोस्वामी की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा 10 बारानी के खाता सं० 7/7 के मु०न० 27 के कि० न० 22/1, 23 मु०न० 34 के कि०न० 2/1, 3, 8, 9/1, 12/1, 13, 18, 19, 20/1, 21/3, 21/4, 22/1, 22/2, मु० नं० 52 के कि०न० 1/3, 2/1 कुल कित्ता 17 बी 2.600 है० बारानी वादभूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में वादी ने अपने कब्जा काशत अनुसार खातेदारी भूमि का खाता विभाजन चाहा जिसका विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर तहसीलदार भादरा द्वारा मुताबिक अपनी रपोर्ट व मय रगंदार नक्शा तहसीलदार भादरा के पत्रांक भू.अ./25/772 दिनांक 19.09.2025 को विभाजन प्रस्ताव पेश हुआ। विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी को सुना गया। वकील वादी विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर की। प्रतिवादीगण द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति पेश नहीं की गई। अतः तहसीलदार भादरा के द्वारा रोही मौजा 10 बारानी का प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के आधार पर पक्षकारान का खाता व लगान निम्न प्रकार विभाजित किया जाता है:-

भाजन : रोही मौजा 10 बारानी

दीना, रहीशा, शकीला पि० मरीयम जाति कायमखानी साकिन भादरा खातेदार:- रोही मौजा 10 बारानी मु०न० 27 कि०न० 22/1 की 0.1200 है०, कि०न० 23/1 की 0.0415 है० कुल अफल 0.1615 है० बारानी।

रानअली पुत्र हाकमअली कौम नाई सा० भादरा खातेदार :- रोही मौजा 10 बारानी के मु०न० के कि०न० 23/2 की 0.2115 है० मु०न० 34 के कि०न० 2/1 की 0.126 है०, कि०न० 3 0.253 है०, कि०न० 8 की 0.253 है०, कि०न० 9/1 की 0.127 है०, कि०न० 12/1 की 0.7 है०, कि०न० 13 की 0.253 है०, कि०न० 18 की 0.253 है०, कि०न० 19 की 0.253 है०, न० 20/1 की 0.126 है०, कि०न० 21/3 की 0.114 है०, कि०न० 21/4 की 0.013 है०

मु0 रास्ता, कि0नं0 22/1 की 0.228 है0, 22/2 की 0.025 है0 गैर मु0 रास्ता, मु0नं0 52
कि0नं0 1/3 की 0.025 है0 बारानी, कि0नं0 2/1 की 0.051 है0 बारानी कुल रकबा 2.
385 है0 बारानी मय रास्ता।

यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार
राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। तहसीलदार राजस्व भादरा द्वारा प्रस्तुत
भाजन प्रस्ताव को पर्चा डिक्री का भाग पढा जावें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ~~30.10.21~~ को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से
पारी की गई।



Dudli

(निधि उड़सरिया)RAS

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)

भादरा, जिला हनुमानगढ़